न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./85/2022

1–किन्नो बेबा जगदीश ।
2–विजयसिंह पुत्र जगदीश । जाति मीना निवासी ग्रांम नयावास ब्रहमवाद
3–किशनसिह पुत्र जगदीश । तहसील बयाना जिला भरतपुर
4–ओमप्रकाश पुत्र जगदीश।
5–पपीता पुत्री जगदीश ।
6–रजनी पुत्री जगदीश ।

..........प्रार्थी0

बनाम

1–वद्री पुत्र रामसिह जाति मीना निवासी नयावास तहसील बयाना जिला भरतपुर
2–राजेश पुत्र चंदन । जाति मीना निवासी गुदावली तहसील नदबई जिला भरतपुर
3–गव्वे पुत्र चंदन ।
4–किन्नो पुत्री रामहेत
5–परवो पुत्री रामहेत
6–पारो पुत्र रामहेत
7–छीतर पुत्र रामस्वरुप
8–भोले पुत्र रामस्वरुप
9–उगन्ती पुत्री रामस्वरुप

} जाति मीना निवासी नयावास तहसील बयाना जिला भरतपुर

..........अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध तहसीलदार बयाना श्री अमित शर्मा

उपस्थितः–
1–श्री पंकज कुमार, अभिभाषक प्रार्थी,

निर्णय **दिनांक 13.09.2023**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण वखिलाफ तहसीलदार बयाना श्री अमित शर्मा, इस आशय का पेश किया गया, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार बयाना के यहॉ अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन भरतपुर के आदेश दिनांक 27.9.2021 की अनुपालना में प्रकरण मृतक रामनारायण पुत्र बंशीलाल की विरासत बाबत विचाराधीन है। तहसीलदार बयाना रिमान्ड आदेश दिनांक 27.9. 2021 की अनुपालना नहीं कर रहे हैं। अप्रार्थीगण ने दिनांक 22.7.2022 को प्रार्थी. को धमकी दी कि अप्रार्थीण की पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो चुकी है निर्णय अप्रार्थीण के पक्ष में होगा। अप्रार्थीगण द्वारा दी गई धमकी से प्रार्थीगण को यकीन

...........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

हो गया है कि उन्हें पीठासीन अधिकारी तहसीलदार बयाना से न्याय प्राप्त नहीं होगा। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बयाना से टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार बयाना से टिप्पणी प्राप्त हुई जो शामिल मिसिल की गई। अप्रार्थी या उनके अभिभाषक बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। योग्य अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन भरतपुर के आदेश दिनांक 27.9.2021 प्रकरण रिमान्ड किया जाकर तहसीलदार बयाना को भेजा गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर के आदेश की अनुपालना में प्रकरण मृतक रामनारायण पुत्र बंशीलाल की विरासत बाबत विचाराधीन है। तहसीलदार बयाना आदेश अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन भरतपुर की अनुपालना नहीं कर रहे हैं। योग्य अभिभाषक का यह कहना है कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 22.7.2022 को प्रार्थी. को धमकी दी कि अप्रार्थीण की पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो चुकी है निर्णय अप्रार्थीण के पक्ष में होगा इससे प्रार्थी0 को विश्वास हो गया है कि तहसीलदार बयाना अप्रार्थी. के पक्ष में निर्णय करेगें। इसलिय प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिली किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर मनन किया। तहसीलदार बयाना से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण या उनके अभिभाषक का बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आना यह अप्रत्यक्ष रुप से यह जाहिर करता है कि उन्हें प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। अस्तु प्रार्थी की परिस्थिति को मध्य नजर रखते हुये न्यायहित में प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बयाना के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण जगदीश बनाम सरकार वगे. को न्यायालय तहसीलदार रुपवास में स्थानान्तरित किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रुपवास एवं तहसीलदार बयाना को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13—09—2023 को सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर